निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1932 (श0) (सं0 पटना 15) पटना, वृहस्पतिवार, 20 जनवरी 2011

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

19 जनवरी 2011

एस॰ओ॰ 7, दिनांक 20 जनवरी 2011—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार—राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्न संशोधन करते हैं जो उक्त धारा की उप—धारा (3) की अपेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या एस०ओ०—240, दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधन

बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19 क में संशोधन— उक्त नियमावली, 1984 का नियम 19क (2) का उप—नियम निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा—

"(2) इस बात का विचार किये बिना कि मनोरंजन प्रदान करनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसी सेवा या माल की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जाती है, धारा 3ककक के अधीन भुगतेय कर की समेकित राशि का भुगतान मनोरंजन प्रदान करनेवालों द्वारा अंशदाता को दिये गये प्रत्येक संबंधन के लिए सकल संग्रहण के पन्द्रह प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किया जायेगा"।

[सं0 सं०-बिक्री-कर / विविध-57 / 2009-259(अनु0)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से राजित पुनहानी, आयुक्त—सह—सचिव, वाणिज्य—कर विभाग। 19 जनवरी 2011

एस0 ओ0 8. एस०ओ० 7. दिनांक 20 जनवरी 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> [संo संo—बिक्री—कर / विविध—57 / 2009—259(अनुo)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से राजित पुनहानी, आयुक्त—सह—सचिव, वाणिज्य—कर विभाग।

The 19th January 2011

S.O. 7, dated the 20th January 2011 – In exercise of the powers conferred by Section -21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar Proposes to make the following amendments in the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 which has been previously published in the official gazette vide notification No.-S.O. 240, dated 21 December, 2010 as required under the said section of sub-section (3).

This notification shall be come into force with effect from the date of its issue.

AMENDMENTS

Amendment of rule 19A of the Bihar Entertainments 'Tax Rule, 1984 :-Sub rule (2) of Rule 19A of the said Rules, 1984 shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The consolidated amount of tax payable under section 3AAA shall be paid by the entertainment provider for each connection given to the subscriber at the rate of fifteen per centum of the gross collection per month irrespective of whether exhibition of programmes by the entertainment provider is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person."

> [(File No. Bikri Kar/Vividh-57/2009–259(Anu.)] By Order of the Governor of Bihar, RAJIT PUNHANI, Commissioner-Cum-Secretary, Commercial-Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 15-571+1000-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in